उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम - गंगापुर सिटी

कल्लू बनाम लोक ही ला

दावा नं. 54 सन् 2015

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
मुद्दईया कल्लू पुत्र अर्जुन जाति जोगी निवासी बामनबड़ौदा तहसील गंगापुर सिटी की ओर से श्री हरिशंकर शर्मा एड. ने उपस्थित होकर हमारे समक्ष पेश किया। बहस वादी को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की जावे। पत्रावली दि. 19/6/15 को कैम्प बामनबड़ौदा पेश हो। (हस्ताक्षर)	
19-6-2015 पत्रावली आज लोक अदालत शिविर बामनबडौदा पर पेश हुई। वादी कल्लू उपस्थित है। वादी ने अपना दावा डिक्री करने का निवेदन किया है। दावे पर तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम बामनबडौदा की जमाबंदी सं० 2069-72 के खाता सं० 12 में खातेदारी कल्लू पुत्र अर्जुन, कल्लू पुत्र गोपी कौम जोगी सा० देह हि० ब० दर्ज है। मजमे आम में जाँच में पाया गया कि चूरा नाथ के तीन पुत्र अर्जुन, गोपी उर्फ गिल्ली, हरचंदा थे। इनमें गोपी उर्फ गिल्ली व हरचंदा ला औलाद फौत हो चुके है। अर्जुन भी मर चुका	2676 19-6-15 नि० कल्लू

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहक हुक्म में
	है। अर्जुन के दो पुत्र कल्लू व सरवन हैं। इनमें सरवन भी ला औलाद फौत हो चुका है। इस प्रकार सम्पूर्ण विरासत अकेले कल्लू के नाम आ गई। कल्लू के पिता का वास्तविक नाम अर्जुन है। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट के साथ फर्द मौका मजमे आम भी संलग्न किया है। प्रस्तुत रिपोर्ट, फर्द मौका का अवलोकन किया। वादी कल्लू के बयान लिए गए। इन सब से वादी के वादपत्र की ताईद होती है। अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर भूमि ख०नं० $\frac{707}{0.76}$, $\frac{708}{0.38}$, $\frac{710}{0.15}$, $\frac{942}{0.28}$ कुल रकबा 1.57 हैक्टर ग्राम बामनबडौदा का वादी कल्लू पुत्र अर्जुन जाति जोगी निवासी बामनबडौदा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस भूमि के वर्तमान इन्द्राज निरस्त किए जाकर उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि वादी कल्लू पुत्र अर्जुन जाति जोगी नि० बामन बडौदा की खातेदारी में दर्ज की जावे। पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

नम्बर व ता...
अहकाम जो इ...
हुक्म की ता...
में जारी हु...

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) बामनबडौदा

पीठासीन अधिकारी--: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1. कल्लू पुत्र अर्जुन जाति जोगी निवासी बामनबडौदा तहसील गंगापुर सिटी ---वादी

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ---प्रतिवादी

दावा घोषणा खातेदारी

मुकदमा नं. -- 44/2015

वादी की ओर से वादी कल्लू की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 19.6.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

भूमि खसरा0 707 रकबा 76 एयर, 708 रकबा 38 एयर, 710 रकबा 15 एयर, 942 रकबा 28 एयर कुल रकबा 1.57 हैक्टर ग्राम बामनबडौदा का वादी कल्लू पुत्र अर्जुन, जोगी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस भूमि के वर्तमान इन्दराज निरस्त किए जाकर उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि वादी कल्लू पुत्र अर्जुन जाति जोगी निवासी बामनबडौदा की खातेदारी में दर्ज की जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 19.6.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राजस्थान)

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ....रुपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	